



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ-२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

फैक्स नं०. 0522-228664:
नं०. 0522-221821:

सं०: 1095/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2017-41/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2009

दिनांक: 29 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की 171वीं बैठक, जो दिनांक: 27.04.2017 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या-27 पर लिये गये निर्णयानुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० की सेवाओं में, निगमादेश सं०: 3313-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2007-11(2)मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2007(टीसी) दिनांक: 30.10.2007 द्वारा पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण सम्बन्धी प्रवृत्त विनियम "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2006" को प्रतिस्थापित करते हुए, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय-ज्ञाप सं०: 457-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14- का०वि०नी०/87(टी०सी०-आर) दिनांक: 22.08.2013 की अनुरूपता में, उ०प्र० शासन की अधिसूचना संख्या: 13/2/97-का-1-2013 दिनांक: 24.04.2013 द्वारा प्रख्यापित "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण(प्रथम संशोधन) नियमावली-2013" को उत्पादन निगम लि० की सेवाओं हेतु अंगीकृत किया जाता है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समुचित प्रस्ताव उत्पादन निगम मुख्यालय स्तर पर गठित निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों के अनुसार पदोन्नति के लिए, यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित की गई सेवा की न्यूनतम अवधि को, यथावश्यक शिथिल किया जा सकता है:

- | | | |
|--|---|---------|
| (1) प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० | - | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक(कार्मिक, प्रबंधन एवं प्रशासन) | - | सदस्य |
| (3) महाप्रबंधक(मानव संसाधन) | - | सदस्य |

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


सं०: 1095/मा०सं०प्र०-02/उ०नि०लि०/2017, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर कॉरपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/उ०प्र० पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक(कार्मिक, प्रबंधन एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर) को उ०प्र० शासन की उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि यथा-विनियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं एवं प्राविधानों से आवरित प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-2 में इंगित समिति के माध्यम से तदनुसार अग्रतर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
5. मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबंधन इकाई/तापीय परिचालन/(मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- ✓ 9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
10. अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/औद्योगिक सम्बन्ध/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,


29.05.17

(दिनेश कुमार शर्मा)

अधिशाली अभियन्ता(मा०सं०प्र०-02)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०-457-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/13-14-का०वि०नी०/87(टी०सी०-आर) दिनांक 22 अगस्त, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/केरफो,
विद्युत वितरण निगम लि०,
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2),
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-1/2,
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं हेतु उ०प्र० शासन की "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2013" का अंगीकृत किया जाना।

महोदय,

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सेवाओं में "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण विनियमावली-2006" को अंगीकृत किये जाने विषयक पावर कारपोरेशन के आदेश सं० 747-काविनी/पाकालि-29/2007-14 पीएफपी/87 दिनांक 04.10.2007 के अनुक्रम में मुझे यह अवगत कराने का निदेश है कि उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उ०प्र० शासन की अधिसूचना सं० 13/2/97-का-2013 दिनांक 24.04.2013 द्वारा प्रख्यापित विनियमावली, "उ०प्र० सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) विनियमावली-2013" को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा अपनी 100वीं बैठक दिनांक 31.07.2013 की मद सं० (33)/13 पर कारपोरेशन की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत करने का निर्णय लिया है।

2. उपरोक्त के सन्दर्भ में यह भी निर्णय लिया गया है कि सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु एक समुचित प्रस्ताव कारपोरेशन स्तर पर गठित निम्नांकित सदस्यों की एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा :-

- | | | |
|---|---|---------|
| (1) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० | - | अध्यक्ष |
| (2) निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन) | - | सदस्य |
| (3) अपर सचिव (प्रथम) | - | सदस्य |

अतः उ० प्र० शासन की उपर्युक्त अधिसूचना की एक प्रति आपको इस आशय से संलग्न कर


(क्रमशः.....2)

(2)

प्रेषित की जा रही है कि यथा-विनियमावली में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं एवं प्राविधानों से आवरित प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-2 में इंगित समिति के माध्यम से तदनुसार अग्रतर यथावश्यक कार्यवाही कृपया सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(जावेद अहमद) 22/07/13

संयुक्त सचिव (काविनी)


संख्या: 457 (1) का0वि0नी0 एवं वे0प्र0-29/पा0का0लि0/2013 तदुदिनांक।


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि०।
5. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की दिनांक 31.07.2013 को आयोजित बैठक की मद सं० सी(33)/13 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन के तर्क में।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से


(सुनीत कुमार सर)।
अनु सचिव (काविनी)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 24 अप्रैल, 2013

वैशाख 4, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या 13/2/97-का-1-2013

लखनऊ, 24 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-29

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी

2-उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

4-यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र में

अर्हकारी
सेवा में
शिथिलीकरण

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हों और पात्रता के क्षेत्र में,

अर्हकारी सेवा
में
शिथिलीकरण

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथार्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम सेवा अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर, यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, सेवा की ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में, पचास प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

परन्तु यह कि :-

(एक) विशेष परिस्थितियों में, यदि प्रशासनिक विभाग पदोन्नति के लिए, यथार्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित सेवा की न्यूनतम अवधि में पचास प्रतिशत से अधिक की शिथिलता प्रदान करने का औचित्य पाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा, कार्मिक विभाग के माध्यम से, एक समुचित प्रस्ताव, निम्न प्रकार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा:-

- (1) मुख्य सचिव अध्यक्ष
- (2) प्रमुख सचिव/सचिव, कार्मिक विभाग..... सदस्य
- (3) संबंधित प्रशासनिक विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य

(दो) और समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों को कार्मिक विभाग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को संसूचित किया जायेगा और तत्पश्चात्, पदोन्नति के लिए, यथार्थिति, निम्नतर पद या पदों पर विहित की गई सेवा की न्यूनतम अवधि को उपर्युक्त संस्तुतियों के अनुसरण में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है।

परन्तु अग्रतर यह कि, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् सुसंगत सेवा नियमावलियों में, किसी संशोधन द्वारा सम्मिलित किये गये, पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा अवधि में शिथिलीकरण संबंधी उपबन्ध, ऐसे संशोधन के प्रारंभ के दिनांक से निकाल दिये गये समझे जायेंगे, किन्तु ऐसे निकाल दिये जाने के होते हुए भी, दिनांक 01 मई, 2012 को या तत्पश्चात् और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013 के प्रारंभ के दिनांक से पूर्व, ऐसी संशोधित सेवानियमावलियों के अनुसरण में की गई पदोन्नतियां अप्रभावित रहेंगी।

आज्ञा से,
राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.13/2/97-ka-1-2013, dated April 24,2013 :

No. 13/II-97-Ka-1-2013

Dated Lucknow, April 24, 2013

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006:

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT SERVANTS RELAXATION IN QUALIFYING SERVICE FOR PROMOTION (FIRST AMENDMENT) RULES, 2013

Short title and commencement

1 (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of rule 4

2. In the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion Rules, 2006, for existing rule 4 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

COLUMN-1

Existing rule

Relaxation in qualifying service

4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed up to fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be.

Relaxation in qualifying service

COLUMN-2

Rule as hereby substituted

4. In case a post is filled by promotion and for such promotion a certain minimum length of service is prescribed on the lower post or posts, as the case may be, and the required number of eligible persons are not available in the field of eligibility, such prescribed minimum length of service may be suitably relaxed upto fifty percent by the Government in the Administrative Department in consultation with the Personnel Department of the Government, excluding the period of probation as laid down for the said lower post or posts, as the case may be:

Provided that :-

(1) if in special circumstances, the Administrative Department finds out the justification of granting more than fifty percent relaxation in the minimum length of service prescribed on the lower post or posts as the case may be, for promotion, then in such situation a proper proposal shall be submitted by the Administrative Department through the Personnel Department before the Committee constituted as follows :

(i) Chief Secretary.....Chairman

Relaxation in qualifying service	<u>COLUMN-1</u> <i>Existing rule</i>	Relaxation in qualifying service	<u>COLUMN-2</u> <i>Rule as hereby substituted</i>
			<p>(ii) Principal Secretary/ Secretary, Personnel Department.....Member</p> <p>(iii) Principal Secretary/ Secretary to the Government in the concerned Administrative DepartmentMember</p> <p>(II) and, the recommendation made by the Committee after due consideration, shall be communicated to the concerned Administrative Department through the Personnel Department and, thereafter, the minimum length of service prescribed on the lower post or posts, as the case may be, for promotion may be relaxed in accordance with the aforesaid recommendation by the concerned Administrative Department :</p> <p>Provided further that provisions regarding relaxation in qualifying service for promotion incorporated by an amendment in the relevant service rules on or after May 01, 2012 shall, from the date of the commencement of such amendment, be deemed to have been omitted but, notwithstanding such omission, the promotions made in accordance with such amended service rules on or after May 01, 2012 and prior to the date of the commencement of the Uttar Pradesh Government Servants Relaxation in Qualifying Service for Promotion (First Amendment) Rules, 2013 shall remain unaffected.</p>

By order,
RAJIV KUMAR,
Pranukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-13/2/97-का-1-2013
लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2013

दिनांक 24 अप्रैल, 2013 को प्रस्थापित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/ज़िलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
- 5-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
- 6-प्रमुख सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8-सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।
- 9-मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
- 10-निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 11-वेब मास्टर/वेब अधिकारी, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
- 12-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
जे0 पी0 एन0 द्विवेदी,
उप सचिव।